



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 2017/अग्रहायण 23, 1939

No. 3406]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 2017/AGRAHAYANA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3882(अ).—मंत्रालय प्रारूप अधिसूचना का.आ. 73(अ.), दिनांक 8 जनवरी, 2016 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य का यह नाम नंधौर घाटी और नंधौर नदी के नाम पर पड़ा है जो घाटी में प्रवाहित होती है। 14 दिसंबर, 2012 को उत्तराखंड सरकार ने नंधौर घाटी के 269.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य का रूप दिया था।

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के दो जिलों जैसे कि नैनीताल और चंपावत में स्थित है। इसमें हल्द्वानी वन संभाग, का बड़ा भाग और चंपावत वन संभाग का भाग शामिल है।

और, शिवालिक का तराई -भाभर क्षेत्र अद्भुत जीवजंतु और वनस्पति जैव विविधता के साथ विश्व के सबसे भयंकर परिदृश्यों में से एक है। यह बड़ा परिदृश्य, जो तराई आर्क लैंडस्केप के रूप में भी जाना जाता है, भारत में यमुना नदी के

पश्चिम की ओर से नेपाल में भगमती नदी के पूर्व की ओर जाता है, जो 16,000 किलोमीटर में फैला है और इसका कुल विस्तृत क्षेत्र लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर है।

और, तराई आर्क लैंडस्केप तराई-द्वार सवाना पारिस्थितिकी क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो दक्षिणी ढलानों में हिमालय की ओर जाता है। यह उपरोक्त पारिस्थितिकी क्षेत्र का अंतिम हिस्सा है। पूरा तराई आर्क लैंडस्केप अब राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर, जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें 16 संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई है जिनमें संपूर्ण क्षेत्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव अभयारण्य और 3 संरक्षण रिजर्व हैं। उत्तराखंड में, पश्चिमी सीमा के शुरू में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जहां, बाघों और हाथियों का वास है। तथा मध्य में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।

और, तराई आर्क लैंडस्केप के दो भौगोलिक क्षेत्र—तराई और भाभर हैं। तराई एक समतल भूमि है जिसकी मिट्टी, अत्यधिक सतही पानी वाली उमदा मिट्टी है, जबकि भाभर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां मोटी मिट्टी और पथरों के कारण यह क्षेत्र बहुत छिद्रपूर्ण है और इसलिए यहां गहरा पानी की सतह है पश्चिमी सीमा में भाभर क्षेत्र में साल (शोरिया रोबस्टा) के वनों की अधिकता है जबकि तराई में लंबी घास के मैदान और दलदल वन हैं, जिनमें साल के वन भी हैं।

और, इस क्षेत्र में पाये जाने वाले मेगा जीवजंतु में बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), हाथी (*एलीफस मैक्सिमस इंडिकस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रोब्यूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), और कई शाकाहारी जानवर महत्वपूर्ण हैं। इस अभयारण्य में कुछ स्तनधारी प्रजातियां जैसे रीसस मकाक (*मक्का मुल्लाटा*), छोटा भारतीय सिवित (*वीवेरिकाकूला इंडिका*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), साही (*हयस्ट्रीक्स इंडिका*) फ्लांइंग लोमड़ी (*पटरोपुस गीगाटेअस*), आदि पाये जाते हैं;

और, इस क्षेत्र में जीवजंतुओं की विविधता के समान ही वनस्पति की विविधता पायी जाती है। इस विविधता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में चैंपियन और सेठ वर्गीकृत वनों की 27 श्रेणियां और उप-श्रेणियां हैं। इस अभयारण्य में कुछ वनस्पति प्रजातियां अमाल्टास (*कैशिया फिस्टुला*), आम (*मैगनीफेरा इंडिका*), कुमीया (*फिकुस कुनीअ*), उदाल (*स्टेरकुलीअ विल्लोसा*), कचमार (*बयहीनीअ वरीइगाटा*), आमार (*स्पोंदीअस पीन्नाटा*), आदि पायी जाती हैं;

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास एक ऐसे आकर्षक क्षेत्र का सृजन आवश्यक है जिससे वन्यजीवों की प्राय और मुक्त आवाजाही बढ़ सके और जहां भविष्य में वन क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। सुल्ताननगरी-रतीघाट, दौली-गोला-लालकुआ, किलपुरा-खतिमा-सुराई और काकराली-बूम-बर्मदेव-नेपाल हाथी गलियारा को संरक्षित करने के लिए इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का प्रस्ताव है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.205 किलोमीटर से 14.99 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को नंधौर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नंधौर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.205 किलोमीटर से 14.99 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 586.27518 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है और संरक्षित क्षेत्र की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध I (क)** और **(ख)** में दी गयी है।

(3) नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी अक्षांश 28°56'29.35" से 29°16'39.79" और पूर्वी देशांतर 79°33'3.82" से 80°10'0.03" के बीच है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(4) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले पांच ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

- (3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
- i. पर्यावरण;
 - ii. वन और वन्यजीव;
 - iii. कृषि और बागवानी;
 - iv. राजस्व;
 - v. शहरी विकास;
 - vi. पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
 - vii. ग्रामीण विकास;
 - viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - ix. नगरपालिका और शहरी विकास;
 - x. पंचायती राज;
 - xi. लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतर की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महा-योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

- (1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:
- (ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-
- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:
- (ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।
- (घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।
- (ङ.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।
- (च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।
- (3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।
- (घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएँ तैयार की जाएंगी तथा उन्हें आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- उत्तराखंड राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**-- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात**: - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**:- वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी, इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण**:-पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कारों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
9.	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
ब. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ख) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के

	ढाँचा।	अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में बाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्वाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
29.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंक्रटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- | | | |
|--------|--|---------------|
| (i) | संबंधित संभागीय आयुक्त | -अध्यक्ष; |
| (ii) | पर्यावरण विभाग, उत्तराखंड सरकार का एक प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (iii) | शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार का एक प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (iv) | गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा | -सदस्य; |
| (v) | क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | -सदस्य; |
| (vi) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (vii) | राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैवविविधता का एक विशेषज्ञ | -सदस्य; |
| (viii) | निदेशक, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य | - सदस्य-सचिव। |

6. विचारार्थ विषय:-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनः गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।
- (4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।


8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/113/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड का मानचित्र



उपाबंध I (क)**नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड की सीमा के भू-निर्देशांक**

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
1.	डब्लू01	29° 11' 03.884" उ	79° 40' 31.695" पू
2.	डब्लू02	29° 10' 38.038" उ	79° 44' 37.284" पू
3.	डब्लू03	29° 09' 37.718" उ	79° 49' 12.193" पू
4.	डब्लू04	29° 09' 25.676" उ	79° 51' 38.832" पू
5.	डब्लू05	29° 10' 44.254" उ	79° 53' 53.049" पू
6.	डब्लू06	29° 08' 49.470" उ	79° 56' 10.269" पू
7.	डब्लू07	29° 07' 03.473" उ	79° 58' 45.739" पू
8.	डब्लू08	29° 07' 40.210" उ	80° 01' 02.823" पू
9.	डब्लू09	29° 05' 44.964" उ	80° 01' 34.977" पू
10.	डब्लू10	29° 03' 01.139" उ	79° 59' 37.921" पू
11.	डब्लू11	29° 03' 15.607" उ	79° 55' 15.137" पू
12.	डब्लू12	29° 04' 39.597" उ	79° 47' 50.944" पू
13.	डब्लू13	29° 07' 11.210" उ	79° 45' 57.253" पू
14.	डब्लू14	29° 08' 57.363" उ	79° 42' 19.679" पू

उपाबंध I (ख)**नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक**

क्र.सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
1		29° 16' 39.994" उ	79° 33' 57.762" पू
2		29° 14' 23.009" उ	79° 36' 19.052" पू
3		29° 13' 48.082" उ	79° 39' 33.453" पू
4		29° 12' 45.522" उ	79° 42' 39.081" पू
5		29° 12' 08.292" उ	79° 45' 36.564" पू
6		29° 10' 00.514" उ	79° 50' 17.169" पू
7		29° 11' 51.318" उ	79° 48' 04.071" पू
8		29° 14' 50.935" उ	79° 50' 20.665" पू
9		29° 14' 30.127" उ	79° 54' 09.876" पू
10		29° 13' 16.378" उ	79° 53' 02.112" पू
11		29° 12' 50.101" उ	79° 55' 43.284" पू
12		29° 11' 57.768" उ	79° 57' 11.189" पू
13		29° 11' 30.730" उ	79° 59' 48.190" पू
14		29° 10' 27.968" उ	80° 01' 59.701" पू
15		29° 10' 16.371" उ	80° 05' 08.790" पू
16		29° 09' 22.326" उ	80° 08' 27.463" पू

17		29° 07' 18.207" उ	80° 10' 00.297" पू
18		29° 05' 13.986" उ	80° 06' 32.886" पू
19		29° 02' 35.607" उ	80° 04' 52.771" पू
20		28° 58' 4.653" उ	80° 03' 35.373" पू
21		28° 56' 32.108" उ	80° 01' 15.573" पू
22		28° 59' 46.918" उ	80° 01' 04.867" पू
23		29° 01' 19.672" उ	79° 56' 47.563" पू
24		28° 59' 33.923" उ	79° 53' 46.660" पू
25		29° 00' 54.202" उ	79° 48' 26.818" पू
26		29° 2' 42.193" उ	79° 45' 2.150" पू
27		29° 6' 27.021" उ	79° 43' 23.870" पू
28		29° 07' 34.821" उ	79° 41' 31.539" पू
29		29° 07' 49.656" उ	79° 39' 07.687" पू
30		29° 09' 14.706" उ	79° 36' 59.523" पू
31		29° 12' 26.166" उ	79° 34' 25.453" पू
32		29° 14' 21.977" उ	79° 33' 53.060" पू

उपाबंध II**नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

उत्तर दिशा- पूर्व लोबचुला 1,2,3, गयनीयारोअ 1,13, उत्तर खोलघर 1,उपराउला गयनीयारोअ 1,2, दक्षिण लोवेरानाला 4,5, उत्तर लोवेरानाला 4बी, 3बी, 2बी कुंदाल 4,5, अलीगर 1बी, 1ए, 2बी, 2a, 3बी देओटा7,8,9,10,11 दंदा कथाउटी 1,3,4, माथीबंजा 1,2

पूर्व दिशा- सार्ग उत्तर 22,23, मतीअबांझ 3,4, छीनी 53, पश्चिम बस्तीअ 1,2,3,पूर्व बस्तीअ 1,2,3,4,नागहन 8, बरमदेव ए2,ए1, ककराली बी,ए, डी, उत्तर गुलीअपानी 4बी, दक्षिण गुलीअपानी 1,2,3, पूर्व कीलपुरा ए, बी, सी

दक्षिण दिशा - उत्तर बंदासा खंड 5,8,7, पश्चिम कीलपुरा ए,दोगरी खंड -1 और2, सुदलीमाथ खंड I, II ए, सुदलीमाथ खंड-II-2बी, 2ए,1बी,1ए, बेदा आरक्षित -3 पूर्व जयलासाल- 16,15,14,13,12, पश्चिम जयलासाल- 6बी, हंसपुर खंड -सी, कालेगा-7

पश्चिम दिशा - केलेगा-6,1, नंधौर-1 सुमंथपला-2, लखनमांदा-5ए, 4सी, 4ए,4बी,3,2ए,1ए,8, दोलपुखरा- 5, 8बी, 8सी, 8ए, 7ए, 7बी, 6बी, 6ए,केलुखेरा- 5,6,2,1, रतीघाट- 3ए, 1ए, रतीघाट खंड सी. नं- 1बी, 2बी, 2ए, 3बी, 3ए, 6ए, 6बी गरखेराक खंड सी .नं.-1, 2, 4, 5ए, 5बी शीमलीअ खंड सी. नं- 4बी, 4c, 4ए, 3, 2, 1 पटरानी खंड सी.नं.- 4, पश्चिम लोबचुला 1ए, 2बी, 2ए, 3ए, 4ए

उपाबंध III**नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र.सं.	नाम	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1.	बेथलर	बी1	29° 10' 41.612" उ	79° 54' 52.283" पू
2.	कथोली माल्ली	बी2	29° 10' 27.266" उ	79° 55' 54.030" पू
3.	दांदा	बी3	29° 10' 15.129" उ	79° 56' 56.844" पू
4.	कथोल	बी4	29° 8' 27.937" उ	79° 58' 32.561" पू
5.	बकरीयाल की पाटली	बी5	29° 8' 31.840" उ	80° 0' 49.760" पू

उपाबंध-IV**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th December, 2017

S.O. 3882(E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 73(E), dated 8th January, 2016, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Nandhour Wildlife Sanctuary derives its name from Nandhour valley and the Nandhour River which flows in the valley. This 269.95 sq km tract of Nandhour valley was constituted as a wildlife sanctuary by Government of Uttarakhand on 14th December, 2012.

AND WHEREAS, the Nandhour Wildlife Sanctuary is located in two districts namely Nainital and Champawat districts of Uttarakhand and covers major portion of Haldwani Forest Division and part of Champawat Forest Division.

AND WHEREAS, the Terai-Bhabar region in the Shiwaliks forms one of the world's most magnificent landscapes with amazing faunal and floral biodiversity. This large landscape, which is also known as Terai Arc Landscape or TAL is flanked by River Yamuna in India towards the west to River Bhagmati in Nepal towards east, stretching 16,000 kilometers and covering an area of about 50,000 sq. km. in its vast expanse.

AND WHEREAS, TAL is a representative of Tarai-Duar Savana Eco-region, flanking the Himalayas in the southern slopes. It is a last remnant of the above eco-region. The entire TAL is now recognized as an important centre of biodiversity, both at national and global level, which has manifested in declaration of as much as 16 protected areas in which 6 National Parks, 7 Wildlife Sanctuaries and 3 Conservation Reserves are in the entire landscape. In Uttarakhand, starting at the western limit is Rajaji National Park, home to tigers and elephants followed by Corbett National Park in the middle.

AND WHEREAS, TAL has two physiographic regions – Tarai and Bhabhar. Tarai is a flat land with fine soil having very shallow water table while Bhabhar is a hilly area with coarse soils and boulders making it extremely porous, and hence having a deeper water table. The Bhabhar area in the western limits is dominated by Sal (*Shorea robusta*) forests while Tarai has characteristic tall grasslands and swampy forests interspersed with Sal forests.

AND WHEREAS, among the mega-fauna found in this region, the most important ones are tigers (*Panthera tigris*), elephants (*Elephas maximus indicus*), leopards (*Panthera pardus*), sloth bears (*Melursus ursinus*), and numerous herbivores. Some mammalian species found in the sanctuary include Rhesus macaque (*Macaca mullata*), Small Indian Civet (*Veerricula indica*), Jackal (*Canis aureus*), Barking Deer (*Muntiacus muntajak*), Porcupine (*Hystrix indica*), Flying Fox (*Pteropus giganteus*), etc;

AND WHEREAS, the diverse fauna of this area enjoys equally diverse floral diversity. The diversity can be estimated considering the fact that the area has twenty seven types and sub-types of Champion and Seth classified forests. Some floral species found in the Sanctuary are Amaltash (*Cassia fistula*), Mango (*Magnifera indica*), Kumiya (*Ficus cunia*), Udal (*Sterculia villosa*), Kachmar (*Bauhinia variegata*), Aamra (*Spondias pinnata*), etc;

AND WHEREAS, it is needful to create a Shock absorbing zone around Nandhour Wildlife Sanctuary which may enhance frequent and free movement of wildlife and in future where the forest areas can be developed. The Eco sensitive zone is proposed to preserve the Sultannagri-Ratighat, Dauli-Gola-Lalkua, Kilpura-Khatima-Surai and Kakrali-Boom-Barmdev-Nepal Elephant Coridors.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.205 kilometres to 14.99 kilometres around the boundary of Nandhour Wildlife Sanctuary in the State of Uttarakhand as the Nandhour Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.205 kilometres to 14.99 kilometres around the Nandhour Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 586.27518 square kilometers.

(2) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A) and (B)** respectively.

(3) The boundary of Eco-sensitive zone of Nandhour Wildlife Sanctuary lies between the North latitudes 28⁰56'29.35'' to 29⁰16'39.79'' and between East longitudes 79⁰33'3.82'' to 80⁰10'0.03''. The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure II**.

(4) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

- (i) Environment,
- (ii) Forest and Wildlife,
- (iii) Agriculture and Horticulture,
- (iv) Revenue,
- (v) Urban Development,
- (vi) Tourism including eco-tourism,
- (vii) Rural Development,
- (viii) Irrigation and Flood Control,
- (ix) Municipal and Urban Development,
- (x) Panchayati Raj, and
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
 - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

- (v) Promoted activities and given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.
- (2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.
- (3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
- (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Uttarakhand State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-

		<p>tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
11.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
12.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
13.	Felling of Trees	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except for official monitoring/survey by the Forest Department.

19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
29.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the first Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- (i) Concerned Divisional Commissioner- —Chairperson;
- (ii) One representative of Department of environment, Government of Uttarakhand- —Member;
- (iii) One representative of Department of Urban Development, Government of Uttarakhand- Member;

- | | |
|---|-----------------------|
| (iv) One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government- | —Member; |
| (v) Regional Officer, Uttarakhand State Pollution Control Board- | —Member; |
| (vi) An expert in Ecology and environment to be nominated by the State Government- | —Member; |
| (vii) An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government | —Member; |
| (viii) Director, Nandhour Wildlife Sanctuary | —Member
Secretary. |

6. Terms of Reference.-


- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
 - (3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for “classification of Industries, 2016”.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/113/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Nandhour Wildlife Sanctuary, Uttarakhand along with Eco-Sensitive Zone



Annexure-I A

Geo Co-ordinates of boundary of Nandhour Wildlife Sanctuary, Uttarakhand

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1.	W01	29° 11' 03.884" N	79° 40' 31.695" E
2.	W02	29° 10' 38.038" N	79° 44' 37.284" E
3.	W03	29° 09' 37.718" N	79° 49' 12.193" E
4.	W04	29° 09' 25.676" N	79° 51' 38.832" E
5.	W05	29° 10' 44.254" N	79° 53' 53.049" E
6.	W06	29° 08' 49.470" N	79° 56' 10.269" E

7.	W07	29° 07' 03.473" N	79° 58' 45.739" E
8.	W08	29° 07' 40.210" N	80° 01' 02.823" E
9.	W09	29° 05' 44.964" N	80° 01' 34.977" E
10.	W10	29° 03' 01.139" N	79° 59' 37.921" E
11.	W11	29° 03' 15.607" N	79° 55' 15.137" E
12.	W12	29° 04' 39.597" N	79° 47' 50.944" E
13.	W13	29° 07' 11.210" N	79° 45' 57.253" E
14.	W14	29° 08' 57.363" N	79° 42' 19.679" E

Annexure I (B)**Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Nandhour WLS, Uttarakhand**

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	E01	29° 16' 39.994" N	79° 33' 57.762" E
2	E02	29° 14' 23.009" N	79° 36' 19.052" E
3	E03	29° 13' 48.082" N	79° 39' 33.453" E
4	E04	29° 12' 45.522" N	79° 42' 39.081" E
5	E05	29° 12' 08.292" N	79° 45' 36.564" E
6	E06	29° 10' 00.514" N	79° 50' 17.169" E
7	E07	29° 11' 51.318" N	79° 48' 04.071" E
8	E08	29° 14' 50.935" N	79° 50' 20.665" E
9	E09	29° 14' 30.127" N	79° 54' 09.876" E
10	E10	29° 13' 16.378" N	79° 53' 02.112" E
11	E11	29° 12' 50.101" N	79° 55' 43.284" E
12	E12	29° 11' 57.768" N	79° 57' 11.189" E
13	E13	29° 11' 30.730" N	79° 59' 48.190" E
14	E14	29° 10' 27.968" N	80° 01' 59.701" E
15	E15	29° 10' 16.371" N	80° 05' 08.790" E
16	E16	29° 09' 22.326" N	80° 08' 27.463" E
17	E17	29° 07' 18.207" N	80° 10' 00.297" E
18	E18	29° 05' 13.986" N	80° 06' 32.886" E
19	E19	29° 02' 35.607" N	80° 04' 52.771" E
20	E20	28° 58' 4.653" N	80° 03' 35.373" E
21	E21	28° 56' 32.108" N	80° 01' 15.573" E
22	E22	28° 59' 46.918" N	80° 01' 04.867" E
23	E23	29° 01' 19.672" N	79° 56' 47.563" E
24	E24	28° 59' 33.923" N	79° 53' 46.660" E
25	E25	29° 00' 54.202" N	79° 48' 26.818" E
26	E26	29° 2' 42.193" N	79° 45' 2.150" E
27	E27	29° 6' 27.021" N	79° 43' 23.870" E
28	E28	29° 07' 34.821" N	79° 41' 31.539" E
29	E29	29° 07' 49.656" N	79° 39' 07.687" E
30	E30	29° 09' 14.706" N	79° 36' 59.523" E
31	E31	29° 12' 26.166" N	79° 34' 25.453" E
32	E32	29° 14' 21.977" N	79° 33' 53.060" E

Annexure II**Boundary Description of Eco Sensitive Zone of Nandhour Wildlife Sanctuary, Uttarakhand**

North Side- East Lobchula 1,2,3, Gauniyaroa 1,13, North Kholgarh 1, Upraula Gauniyaroa 1,2, South Loweranala 4,5, North Loweranala 4b, 3b, 2b Kundal 4,5, Aaligarh 1b, 1a, 2b, 2a, 3b Deota 7,8,9,10,11 Danda Kathauti 1,3,4, Mathiabanjh 1,2

East Side- Sarra North 22,23, Mathiabanjh 3,4, Chhini 53, West Bastia 1,2,3, East Bastia 1,2,3,4, Naghan 8, Baramdeo A2,A1, Kakrali B, A, D, North Guliapani 4b, South Guliapani 1,2,3, East Kilpura A, B, C

South Side- North Banbasa Block 5,8,7, West Kilpura A, Dogari block-1 & 2, Sudlimath Block I, II A, Sudlimath Block-II-2b,2a,1b,1a, Beda Reserve -3 East Jaulasal- 16,15,14,13,12, West Jaulasal- 6b, Hanspur block-C , Kalega-7

West Side- Kalega-6,1, Nandhour-1 Sumanthapla-2, Lakhanmandi-5a, 4c, 4a,4b,3,2a,1a,8, Dolpokhara- 5, 8b, 8c, 8a, 7a, 7b, 6b, 6a, Kalukhera- 5,6,2,1, Ratighat- 3a, 1a, Ratighat block c.no.- 1b, 2b, 2a, 3b, 3a, 6a, 6b Garhkhara block c.no.-1, 2, 4, 5a, 5b Simlia block c.no.- 4b, 4c, 4a, 3, 2, 1 Patrani block c.no.- 4, West Lobchula 1a, 2b, 2a, 3a, 4a

Annexure III**List of villages falling in Nandhour WLS Eco-sensitive Zone**

Sl. No.	Name	Village	Latitude	Longitude
1.	Bethlar	V1	29° 10' 41.612" N	79° 54' 52.283" E
2.	Kathauli Malli	V2	29° 10' 27.266" N	79° 55' 54.030" E
3.	Danda	V3	29° 10' 15.129" N	79° 56' 56.844" E
4.	Kathaul	V4	29° 8' 27.937" N	79° 58' 32.561" E
5.	Bakriyal ki Patli	V5	29° 8' 31.840" N	80° 0' 49.760" E

Annexure IV**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.